जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

114/15

A3

Gen. No. 13

अपील सूचना का अधिकार संख्या 114/2015 श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23के ब्लाक श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर

19–01–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल को रूक रूक कर आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आए। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र संख्या 4996 दिनांक 10.06.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

> 1– अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर के पत्रांक 291 दिनांक 29.05.2015 जो श्रीमान को संबोधित है एवं विषय वस्तु निम्न हैः–
>
> तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर प्रहलादराय मीणा एवं श्री करतारसिंह पूनिया एवं सचिव श्री मलकीयत सैनी जांच अधिकारी द्वारा लोक सभा चुनाव 2014 में बी.एल.ओ. श्री सुभाषचन्द्र गोयल द्वारा मतदाता पर्चियां प्रार्थी के परिवार को वितरित न करने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश की जान बूझकर अवहेलना करने पर दंडित करने बाबत, आप द्वारा उपरोक्त के विरूद्ध जो जो कार्यवाही की है, उसकी प्रारम्भ से जबाब देने तक की कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि
>
> 2– अप्रेल 2014 से 10 जून 2015 तक जो जो कार्यवाही इनके विरूद्ध नियमानुसार बनती है उसकी सूचना व नियम की प्रतिलिपि

अपीलार्थी श्री राधेश्याम द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त 2 बिन्दुओ की सूचना लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं राज0 सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत प्रत्यर्थी के विरूद्ध 25000रूपये हर्जाना लगाया लगाया जावे एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 1641 दिनांक 16.08.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि श्री राधेश्याम गोयल द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र की सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या 1024 दिनांक 26.08.2015 से पंजिकृत डाक द्वारा समय पर उपलब्ध करवा दी गई है अतः अपील खारिज की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 1024 दिनांक 06.07.2015 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

कलैक्टर
गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

114/15

बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना के संबंध में जहां तक चाही गई सूचनांए उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2''च'' में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। अतः बिन्दु संख्या 1 एवं 2 के संबंध में आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 06.07.2015 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम की भावनांओ को देखते हुए न्याय हित में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय ~~नियम~~ में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर